भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2348

13 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एवीवीवाई के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थी

2348. श्री गजेन्द्र सिंह पटेलः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) खरगोन लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और विशेषकर खरगोन और बरवानी जिलों में आयुष्मान वय वंदना योजना (एवीवीवाई) के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों की ब्लॉकवार संख्या कितनी है;
(ख) क्या उंगलियों के निशान के सत्यापन में विसंगतियों के कारण लाभार्थियों को उक्त योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार का उक्त योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को लाभ प्राप्त कराने के लिए उंगलियों के निशान के मिलान के अलावा वैकल्पिक तरीकों का उपयोग किए जाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्रवार आंकड़े एकत्र नहीं किए जाते हैं, हालांकि, दिनांक 31.01.2026 तक की स्थिति के अनुसार, खरगोन और बरवानी जिलों में बनाए गए आयुष्मान वय वंदना कार्डों का विवरण निम्नानुसार है:

जिला	बनाए गए आयुष्मान वय वंदना कार्डों की संख्या

खरगोन (पश्चिम निमार)	35,293
बरवानी	24,694

एबी-पीएमजेएवाई योजना के तहत, सेवाओं का लाभ उठाते समय लाभार्थियों का सत्यापन आधार आधारित बायो-ऑथेंटिकेशन के माध्यम से किया जाता है। बायो-ऑथेंटिकेशन के तीन तरीके उपलब्ध हैं जैसे फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन और फेस ऑथेंटिकेशन तथा लाभार्थी इनमें से किसी भी तरीके से अपना प्रमाणीकरण करा सकते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अस्पताल को पैनलबद्ध करने संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, अस्पतालों के पास ऐसे प्रमाणीकरण के लिए बायोमेट्रिक उपकरण होना अनिवार्य है। आपातकालीन मामलों में जहां रोगी का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण संभव नहीं है, वहां चिकित्सा अधीक्षक (एमएस) के लॉगिन के माध्यम से बिना प्रमाणीकरण के पंजीकरण किया जा सकता है।

एबी-पीएमजेएवाई के दिशानिर्देशों के अनुसार, निजी अस्पतालों को, भर्ती होने की तारीख के 3 दिन बाद तक और सरकारी अस्पतालों को भर्ती होने की तारीख के 5 दिन बाद तक पूर्व-अनुमति के लिए अनुरोध करने की अनुमति है। यह सुविधा आपात स्थिति में स्वास्थ्य सेवाओं तक समय पर पहुंच सुनिश्चित करती है। इसके अलावा, लाभार्थी योजना से संबंधित किसी भी सहायता के लिए 24*7 टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 14555 पर कॉल कर सकते हैं।

*****